केन्द्रीय विद्यालय संगठन
(शिक्षा मंत्रालय , भारत सरकार के अधीन
संभागीय कार्यालय,आई.आई.टी. कैम्पस,पवई,मुम्बई -400076
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
(Under Min. of Education, Govt. of India)
Regional Office. I.I.T. Campus, Powai, Mumbai-400 076.
दूरभाष/ Tel. (022) 2572 2328, 1614 (PBX)
Website: www.romumbai.kvs.gov.in

F.N.27331/ KVS RO Mum/Acad./21-22 **Date: 04.10.21**

प्राचार्य,
समस्त केंद्रीय विद्यालय
मुंबई संभाग ।

विषय: एक ही स्टेशन के भीतर एक केवि से दूसरे केवि में होने वाला विद्यार्थियों का स्थानीय स्थानांतरण के संबंध में ।
संदर्भ: केविसं प्रवेश मार्गदर्शिका 2021-22 का भाग A, बिन्दु 7 (iv)

महोदया / महोदय,
अवगत कराना है कि कोविड 19 महामारी के कारण स्थानीय स्थानांतरण की प्रक्रिया को वर्ष 2021-22 में नियत समय पर प्रारंभ नहीं किया जा सका । अविभावकों द्वारा निरंतर विद्यालयों से स्थानीय स्थानांतरण के संबंध में संपर्क किया जा रहा है अत: केविसं क्षेत्रीय कार्यालय मुम्बई संभाग द्वारा स्थानीय स्थानांतरण की प्रक्रिया को प्रारंभ किया जा रहा है जिस हेतु निम्नलिखित **प्रक्रिया एवं समय -सारिणी** का अनुपालन किया जाएगा:-

1. संलग्न स्थानीय स्थानांतरण आवेदन प्रपत्र अभिभावक की प्रार्थना पर उन्हें उपलब्ध करवाया जायेगा।

2. स्थानीय स्थानांतरण हेतु केवल नीचे दी गई शर्तों के पूरे होने पर ही पर विचार किया जाएगा:-
   (i) हाल ही में सरकारी आवास का आबंटन
   (ii) स्वयं के गृह में निवास हेतु शिफ्ट होना
   (iii) भाई/ बहन स्कूल में अध्ययन कर रहा है/ रही है जहां स्थानीय स्थानांतरण की मांग की है (**वर्ष 2021-22 के दौरान प्रवेश लेने वालों को छोड़कर**)
   (iv) यदि पाल्य केवि के अलग-अलग पालियों में अध्ययन कर रहें हैं
   (v) केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए वैध चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ ही चिकित्सा मामलें

3. अभिवावक द्वारा इस प्रपत्र को चार प्रतियों में भर कर उस केंद्रीय विद्यालय के **प्राचार्य को दिया जाए जहां वर्तमान में उनका बच्चा पढ़ रहा है |**

4. वर्तमान विद्यालय के प्राचार्य द्वारा आवेदन की एक प्रति अपने रिकार्ड हेतु रखी जाए, कार्यालय रिकार्ड के अनुसार विवरणों की जांच की जाए, उन्हें रिकार्ड किया जाए एवं शेष 02 प्रतियाँ उस केवि के प्राचार्य को भेजी जाएँ **जहां अभिभावक बच्चे के प्रवेश के इच्छुक हो** | एक प्रति अभिवावक को प्रपत्र की प्राप्ति की पावती हेतु दी जाए |

5. विद्यार्थी जिस केवि में प्रवेश लेने का इच्छुक है, वहाँ के प्राचार्य द्वारा आवेदन प्रपत्र की **एक प्रति सभी दृष्टियों से पूर्ण करके अपनी टिप्पणी / तथ्यों/ आंकडों को देते हुए संकुल प्रभारी प्राचार्य को भेजी जाए एवं एक प्रति विद्यालय रिकार्ड हेतु रखी जाए | कृपया ध्यान रहे संकुल प्रभारी प्राचार्य को आवेदन पत्र प्रेषित करने से पूर्व वर्तमान में छात्रों की संख्या तथा अपनी संस्तुति अवश्य लिखें ताकि संकुल प्रभारी द्वारा तदनुसार कार्रवाई की जा सके ।**

6. संकुल प्रभारी प्राचार्य समस्त आवेदनों की जांच कर संलग्न Excel Sheet में छात्रों का पूर्ण विवरण भरकर एवं संबंधित विद्यालय (जहां प्रवेश हेतु इच्छुक हैं) के प्राचार्य से चर्चा कर एवं उनके हस्ताक्षर के उपरान्त अपनी टिप्पणी (अनुमोदन / अनुमोदित नहीं) कारण सहित हार्ड कापी एवं Soft Copy आवेदन पत्रों के साथ नियत समय के अंदर इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगें ।

क्षेत्रीय कार्यालय को संकुल प्रभारी प्राचार्यों से आवेदन पत्र प्राप्त होने के उपरान्त क्षेत्रीय स्तर की स्थानीय स्थानांतरण समिति द्वारा अनुमोदित किए गए विद्यार्थियों की सूची संबंधित विद्यालयों को प्रेषित की जाएगी।

<u>स्थानीय स्थानांतरण हेतु समय-सारिणी</u>

क्रम. सं.	विवरण	अंतिम तिथी
1	अभिभावक द्वारा विद्यालय में फार्म सम्मिलित करने की अतिंम तिथि	23.10.21
2	वर्तमान विद्यालय द्वारा जिस विद्यालय में स्थानांतरण चाहिए उस विद्यालय में फार्म सम्मिलित करने की अंतिम तिथि	25.10.21
3	विद्यालय (जिस विद्यालय में स्थानांतरण चाहिए) द्वारा पूर्ण दस्तावेजों की जांच एवं टिप्पणी के उपरांत संकुल प्रभारी प्राचार्य को फार्म सम्मिलित करने की अंतिम तिथि	28.10.21
4	संकुल प्रभारी प्राचार्य द्वारा समस्त आवेदनों की जांच कर अपनी टिप्पणी के साथ फार्मों को क्षेत्रीय कार्यालय में सम्मिलित करने की अंतिम तिथि	10.11.21
5	क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा सूची विद्यालयों को प्रेषित करने की तिथि	12.11.21
6	अनुमोदित छात्रों के विद्यालय परिवर्तन करने की तिथि	**13-20 नवम्बर 21**

7. **23 अक्टूबर 2021** के बाद स्थानीय स्थानांतरण हेतु विद्यालय द्वारा आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेगें । यदि 23 अक्टूबर 2021 के उपरान्त किसी अभिभावक का स्थानांतरण अथवा सरकारी आवास का आवंटन होता है तो विद्यालय द्वारा फार्म स्वीकार किये जा सकते हैं एवं स्थानीय स्थानांतरण की उपरोक्त प्रक्रिया का पालन किया जायेगा । अत: कक्षा अध्यापकों के माध्यम से अभिभावकों को अवगत करायें ताकि इच्छुक एवं योग्य अभिभावकों द्वारा समय पर आवेदन किया जा सके ।

8. किसी भी मामले में अभिभावक को अन्य दूसरे केवि या क्षेत्रीय कार्यालय में न भेजा जाए अथवा संपर्क करने हेतु सलाह प्रदान न करें ।

9. स्थानीय स्थानांतरण हेतु दी गयी समय-सारिणी का कडाई से पालन किया जाय ।

10. जिला प्रशासन/ राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 हेतु SOP जारी किये गये हैं अत: स्थानीय स्थानांतरण के दौरान कोविड प्रोटोकोल एवं SOP का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित किया जाय ।

भवदीया

सोना सेठ

(सोना सेठ)
उपायुक्त

संलग्नक:- यथोपरि